



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 303 राँची, गुरुवार,

25 मई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

2 मई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-10/2019-20737 (HRMS)--श्री शेखर कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-125/20, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-114, दिनांक 12.02.2019 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-‘क’ में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. श्री शेखर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के द्वारा मनरेगा अन्तर्गत प्रशासनिक मद से मनरेगा योजनाओं के लिए 250 रु० प्रति के दर से आपूर्तिकर्ता ललन राम से 1611 अदद मेडिकल किट एवं सचिन कुमार आनन्द से 1610 अदद मेडिकल किट कुल 3221 अदद मेडिकल किट का क्रय किया गया, जिसका भुगतान रु० 8,05,250/- (आठ लाख पाँच सौ पच्चीस रु० मात्र) किया गया। जबकि दोनों आपूर्तिकर्ता द्वारा कुल 1300 अदद मेडिकल किट ही

आपूर्ति किया गया है। वर्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के द्वारा सैम्पल के रूप में मेडिकल किट का जाँच किया गया जिसका मूल्य अनुमानित: ₹0 215.49 पाया गया। इस तरह 1300 अदद मेडिकल किट का वास्तविक मूल्य ₹0 2,80,137/- (दो लाख अस्सी हजार एक सौ सैंतीस ₹० मात्र) होता है। इस प्रकार पूर्व में भुगतान की गई राशि तथा वर्तमान में आकलन की गई राशि का वास्तविक अंतर ₹० 5,25,113/- (पाँच लाख पच्चीस हजार एक सौ तेरह ₹० मात्र) होता है, जो दर्शाता है कि आपूर्तिकर्ता को फर्जी रूप में भुगतान की गई है। इस प्रकार यह मामला पूर्णतः ही वित्तीय अनियमितता को उजागर करता है ।

2. मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं का प्राक्कलन में ही मेडिकल किट का प्रावधान किया गया है। किन्तु श्री शेखर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद के द्वारा मेडिकल किट क्रय कर मनरेगा अन्तर्गत प्रशासनिक मद से भुगतान किया गया है, जो मनरेगा एक्ट का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता है ।

3. आपूर्तिकर्ता के चयन हेतु किसी भी प्रकार की निविदा नहीं निकाला गया है ।

4. आपूर्तिकर्ता को प्रखण्ड निर्गत कार्यादेश में मेडिकल किट के अवयवों को मुद्रित नहीं किया गया है ।

5. श्री शेखर कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद द्वारा मनमानी तरीका से ₹० 10,00,000/- (दस लाख ₹० मात्र) का एफ०टी०ओ० कर शून्य खाता में राशि को रखा गया है। जबकि खर्च के अनुरूप ही राशि का एफ०टी०ओ० कराना है। यह मनरेगा अधिनियम का सरासर उल्लंघन है और उक्त राशि का गबन किया गया है। इनका यह कृत्य सरकार के मनरेगा योजना में सरकारी राशि का गबन करने, स्वेच्छाचारिता, आपूर्तिकर्ता एवं मनमाने आचरण का परिचायक है तथा सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल है ।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-4645(hrms), दिनांक 17.03.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-55, दिनांक 28.01.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य एवं इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5014(hrms) दिनांक 09.05.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार का अपील आवेदन राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2087, दिनांक 04.08.2022 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसकी समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपील आवेदन में पूर्व में समर्पित बचाव बयान एवं द्वितीय कारण पृच्छा से इतर कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। अपने अपील आवेदन में श्री कुमार ने नये तथ्य प्रस्तुत नहीं कर मात्र निवेदन किया है कि सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों को इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा नजरअंदाज करते हुए उपायुक्त द्वारा प्रेषित प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों को आधार बनाकर आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया और कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भी संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन को आधार मानते हुए वित्तीय अनियमितता समझ कर कठोर वृहद दण्ड अधिरोपित किया गया, जो न्यायोचित नहीं है।

विभागीय जाँच सह संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकित है कि आरोपी पदाधिकारी के पद पर रहते हुए मात्र 1300 किट का ही आपूर्ति हो पाया था, किन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा कुल 3221 किट का राशि 250 प्रति किट की दर से कुल रूपया 8,05,250/- का भुगतान किया गया। उक्त तथ्य की पुष्टि आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण से भी होती है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने बचाव बयान में अंकित स्वीकारयोक्ति कि उनके द्वारा निर्गत कार्यादेश में मेडिकल किट के अवयवों पर चर्चा नहीं करना एवं कार्यादेश के पूर्व FTO के माध्यम से राशि की निकासी करना एक मानवीय भूल थी, स्वीकार योग्य नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किये गये हैं। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आरोपों से भिन्न तथ्य को उपस्थापित कर अपने आप को आरोप मुक्त करने का प्रयास किया गया है।

समीक्षोपरांत, श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5014(hrms), दिनांक 09.05.2022 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने के प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रस्ताव को दिनांक 17.04.2023 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्वीकृत किया गया है।

अतः श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5014(hrms), दिनांक 09.05.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SHEKHER KUMAR 20080400066	श्री शेखर कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-125/20, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनाबाद (पलामू) संप्रति-अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-5014(hrms), दिनांक 09.05.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखा जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
